

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 3701
Dated 15-10-77

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

अधिसूचना

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 29th September, 1977

NOTIFICATION

क्र० जा० 3161.—केन्द्रीय सरकार बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् अपनी यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए बेचे जाने वाले, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट बीजों के प्रकार की क्वालिटी का, स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उनकी किस्म की बाबत विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किस्में होंगी।

S.O. 3161.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the kind of seeds specified in the column (1), in respect of the variety thereof specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be notified varieties for the purposes of said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (3), of the said Table.

सारणी

TABLE

बीज का प्रकार	बीज की किस्में	क्षेत्र जिसके लिए अधिसूचित की गई है
1	2	
गेहूं जौ राया	डब्ल्यू एल-711 डी एल-70 आर० एम० एल०-198	पंजाब

Kinds of seed	Varieties of seed	Area for which notified
1	2	3
Wheat Barley Raya	WL-711 DL-70 RLM-198	Punjab

[संख्या 7-30/75-एस० डी०]

सुनील आहुजा, उप सचिव

[No 7-30/75-SD]

SUNIL AHUJA, Dy. Secy.